Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)**
**[Jamabandi Cancellation Revision Case No.-13/2024]**
**Gayadhar Paswan .....Petitioner.**
**Versus**
**The State of Bihar & Others.....Opposite Parties.**

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

**09.12.2025**

## आदेश

यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द अपील वाद सं0-10/2021 में दिनांक-22.11.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

| मौजा | जमाबंदी संख्या | खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|---|---|
| पथरा उत्तर | जमाबंदी नं0-1178 | 1085 | 4453 | 44.4 डी0 0-10-2 धूर | उ0-रामचरण पासवान, द0-लक्ष्मी चौधरी, पु0-लक्ष्मी चौधरी, प0-सरकारी पक्की सड़क |

दिनांक-29.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। Petitioner की ओर से Written note of Argument दाखिल है। वादी का कहना है कि वाजदावी केवाला के आधार पर जमाबंदी दाखिल खारिज वाद संख्या-154-171/1992 के द्वारा जमाबंदी संख्या- 4749/1185 उनके नाम से कायम हुआ है तथा शातिपूर्ण दखल कब्जा में रहा। जबकि विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके खतियानी जमीन है तथा यह कि वादी द्वारा खतियानी रैयत/वंशज से नहीं अपितु किसी अन्य व्यक्ति से जमीन का क्रय किया गया है। तथा यह कि उनके पूर्वज रजाई पासवान के नाम से जमाबंदी संख्या-1178 कायम है तथा अद्यतन लगान रशीद -2020-21 दाखिल है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-139/2020 में अपर समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा वादी गयाधर पासवान का पक्ष सुने बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन एवं उपस्थापित साक्ष्यों की समुचित विवेचना एवं सकारण Findings के आधार पर आदेश पारित करने की स्थिति दृष्टिगत नहीं है।

अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए इस वाद को न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सुपौल को Remand back करते हुए आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष की विधिवत सुनवाई एवं उपस्थापित अभिकथन/साक्ष्यों के संदर्भ में समुचित जाँचोपरांत सकारण Findings के आधार पर वाद को निर्णित करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय के स्तर से वाद निर्णित होने तक Status quo (राजस्व अभिलेख तथा सरजमीन पर) Maintain करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस पुनरीक्षण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Rajeev K.
09/12/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।
Rajeev K.
09/12/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा